



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 406 राँची, सोमवार 25 वैशाख, 1937 (श०)
15 जून, 2015 (ई०)

परिवहन विभाग

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तों) संशोधन नियमावली,
2015

15 जून 2015

संख्या- परि०वि०-174/09 /681. -- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियमावली, 2010 के भाग-3 के नियम 13 में अंकित प्रावधान प्तीनों विषयों के लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत(प्रत्येक विषय में) एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत(प्रत्येक विषय में) प्राप्तांक लाना अनिवार्य होगा को निम्न प्रकार संशोधित करते हैं-

“सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1 के लिए 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा”

2. उक्त नियमावली इस हद तक संशोधित समझी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रतन कुमार,
सचिव
परिवहन विभाग ।
